



रेडियोसक्रिय स्रोत के लिए सावधानी का प्रतीक



भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

आयनकारी विकिरण स्रोतों के मालिक और उपयोगकर्ता ध्यान दें!



एक्स-रे के लिए सावधानी का प्रतीक

**विकिरण संरक्षा के बारे में चिंतित हैं ?? .... एईआरबी अनुपालन के बारे में पता करें !!!**

विकिरण स्रोतों के संरक्षित संचालन के लिए एईआरबी से लाइसेंस प्राप्त करना परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षा) नियम, 2004 के तहत एक वैधानिक आवश्यकता है।

**विकिरण स्रोतों से अर्जित सामाजिक लाभ में शामिल हैं**

**रेडियोसक्रिय स्रोत उपयोग किए जाते हैं :**

- अनुसंधान, शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय
- न्यूक्लोनिक गेज और वेल लॉगिंग
- गामा किरणों का उपयोग करते हुए औद्योगिक रेडियोग्राफी
- गामा चेंबर
- गामा विकिरण प्रोसेसिंग प्लांट
- नाभिकीय औषधि
- रेडियोथेरेपी की टेली कोबाल्ट और ब्रैकीथेरेपी की इकाइयाँ

**विकिरण उत्पन्न करने वाले उपकरण उपयोग किए जाते हैं:**

- अनुसंधान, शैक्षणिक संस्थान और विश्वविद्यालय
- एक्स-रे का उपयोग करते हुए औद्योगिक रेडियोग्राफी
- एक्सलेरेटर आधारित विकिरण प्रोसेसिंग प्लांट
- रेडियोथेरेपी के लिए चिकित्सा एक्सलेरेटर
- मेडिकल साइक्लोट्रॉन
- औद्योगिक और अनुसंधान एक्सलेरेटर
- नैदानिक विकिरण चिकित्सा विज्ञान -सीटी / कैथ लैब / एक्स-रे मशीनें
- एक्स-रे बैगज स्कैनर, आदि।

एईआरबी की वेब आधारित प्रणाली **e-LORA** (इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन एप्लिकेशन) के माध्यम से एईआरबी से लाइसेंस प्राप्त करना आसान है। एईआरबी लाइसेंस के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

विस्तृत जानकारी और e-LORA प्रणाली तक पहुँच के लिए, एईआरबी वेबसाइट **www.aerb.gov.in** पर जाएँ:

एईआरबी से जारी वैध लाइसेंस के बिना स्वामित्व और / प्रचालन में पाए गए विकिरण स्रोतों को बिना किसी नोटिस जब्त या सील किया जा सकता है और मालिक के खिलाफ कानूनी अभियोग चलाया जा सकता है।

**जारीरर्ता :**



**नियामक मामले एवं संचार निदेशालय  
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद  
(भारत सरकार)  
नियामक भवन, अणुशक्तिनगर, मुंबई - 400094**

Size : 12 x 17

HINDI